क्रम-संख्या–203

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन० पी० 91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2016

आश्विन 5, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या 4/8–8–16–52 एल०सी०यू०–15

लखनऊ, 27 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

प०आ०–518

चूँकि राज्य सरकार कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कानपुर महायोजना–2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला', 'आज' व 'काम्पेक्ट' के दिनांक 1 मई, 2016 के संस्करण में प्रकाशित करायी गयी थी,

और, चूँकि, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर प्रकाशित गाटाओं के बारे में 1 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए, जिसका निराकरण समिति द्वारा आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए किया गया,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, कानपुर महायोजना–2021 में निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित खसरा नम्बरानों में उनके सम्मुख अंकित भू–प्रयोग हेतु संशोधन करते हैं :–

अनुसूची

जिला	मौजा	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	महायोजना में वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
कानपुर नगर	लखनपुर	10, 11 ब्लाक ए–1	10,129.65	मल्टीप्लेक्स/माल (व्यवसायिक)	आवासीय

आज्ञा से,
पनधारी यादव,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 469 राजपत्र–2016–(1062)–599+20=619 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

469 RPH (Awas avam Shahari) 2016 Data 6